संख्या-139/361/22-2-2020-17(401)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 06 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री ओमकार, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.02.2020) दिनांक- 27.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री ओमकार, जो मामूरगंज, थाना-कादर चौक, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। दिनांक 29.09.2000 को अभियुक्त ने आपसी रंजिश में विवाद बढ़ने पर अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से महिपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2001 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 22.07.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.09.2000 को आपसी रंजिश में विवाद बढ़ने पर अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से महिपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की आयु लगभग 50 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने व भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री ओमकार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-17793/2018 राजेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2019 के अनुपालन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश (बन्दी संख्या-39723) पुत्र श्री ओमकार, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-139/361(1)/22-2-2020 तद्दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-139/361/22-2-2020-17(401)/2016

दिनांक 06 मई, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री ओमकार, जो मामूरगंज, थाना-कादर चौक, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। दिनांक 29.09.2000 को अभियुक्त ने आपसी रंजिश में विवाद बढ़ने पर अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से महिपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2001 भा0द0सं0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 22.07.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.09.2000 को आपसी रंजिश में विवाद बढ़ने पर अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से महिपाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की आयु लगभग 50 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने व भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री ओमकार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in